



“ई-निविदा सूचना”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक फर्मों/सेवाप्रदाओं/एजेन्सीयों/संस्थाओं आदि से दिनांक 28.01.2023 की प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 10.02.2023 की सांय 05:00 बजे तक दोहरी निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) के अन्तर्गत ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 13.02.2023 को दोपहर: 12:00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी/शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से डाउनलोड की जा सकती हैं। ई-निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम रुद्रपुर में सम्पर्क किया जा सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर में निहित होगा।

—ह0—

(विशाल मिश्रा)

नगर आयुक्त

नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

—ह0—

(रामपाल सिंह)

महापौर

नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर जिला—ऊधम सिंह नगर

Tel. 05944-242400

e-mail- nagarnigamrudrapur@gmail.com

Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

पत्रांक 3295/स्वा0अनु0/2022-23 P.B

दिनांक 27.01.2023

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

1. कार्यालय, जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
2. कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. कार्यालय, वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. कार्यालय, उप जिलाधिकारी, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।
5. कार्यालय, नगर निगम रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त ई-निविदा सूचना 6 x 8 सेमी साईज में अपनी व्यवसायिक दरों में 30 प्रतिशत से अधिक की छूट देते हुए अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल समाचार की दो प्रतियों सहित इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. श्री तपन कुमार राय, डा0ए0ऑपरेटर, नगर निगम रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त ई-निविदा सूचना उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktenders.gov.in तथा नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सहायक नगर आयुक्त

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर



नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किए जाने हेतु ई-निविदा

निविदा प्रपत्र मूल्य ₹0 5000+900 (GST 18%)=5900.00

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा 02 बिड प्रक्रिया (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत ई-निविदा के माध्यम से नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर पड़े Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार वैज्ञानिक विधि से पृथक्कीकरण एवं निस्तारण किए जाने हेतु इच्छुक सेवाप्रदाताओं/फर्मों/एजेन्सीयों आदि से निम्न की-डेट्स के अनुसार ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं-

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1.	Date Of Online Publication	28.01.2023	11:00 am
2.	Documents Download Start Date	28.01.2023	11:00 am
3.	Bid Submission Start Date	28.01.2023	11:00 am
4.	Pre Bid Date	06.02.2023	11:00 am
5.	Bid Submission End Date	10.02.2023	05:00 pm
6.	Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date	13.02.2023	11:00 am
7.	Bid Opening Date	13.02.2023	12:00 pm

ई-निविदा की शर्तें निम्नवत् हैं -

- सफल निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पहाड़गंज स्थित ट्रंचिंग ग्राउण्ड पर वर्तमान में पड़े लगभग 41500 CuM (लगभग 33000 मीट्रिक टन, माह नवम्बर में निगम द्वारा वैज्ञानिक रूप से कराए गए सर्वे के आधार पर) Current Waste जो कि लगभग 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एकत्रित है, का CPCB के मानकों के अनुसार निस्तारण कार्यादेश जारी होने के 03 माह के भीतर कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा।
- कार्य की पाक्षिक समीक्षा के दौरान यदि नगर, निगम रुद्रपुर को यह प्रतीत होता है कि सफल निविदादाता 03 माह की निर्धारित समयावधि में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने में समर्थ नहीं होगा तो उसे नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा नोटिस प्रेषित किया जा सकता है, जिसका 07 दिवस के भीतर संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त न होने की दशा में 03 माह की कार्यावधि समाप्ति के पश्चात् ₹0 1.00 लाख का जुर्माना लगाया जायेगा।
- यदि सफल निविदादाता 03 माह की कार्यवधि समाप्त होने के 4 सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस पर बिन्दु क्रमांक 2 के अनुसार जुर्माना लगाए जाने के साथ-साथ उसके अनुबन्ध को तत्काल निरस्त करते हुए कार्यपूति प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिस पर सफल निविदादाता का कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- यदि कार्य की अवधि में किसी समय पर यह पाया जाता है कि सफल निविदादाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा सफल निविदादाता को इस सम्बन्ध में नोटिस निर्गत किया जायेगा। यदि नोटिस निर्गत करने के 07 दिवस के अन्दर सफल निविदादाता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर को होगा तथा सफल निविदादाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

5. सफल निविदादाता को **Current Waste** के निस्तारण हेतु दी गई समय सीमा के भीतर ही धरातल पर आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार का सिविल कार्य, प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आदि का कार्य भी सम्पन्न करना होगा। अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध की अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता होने की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर द्वारा एक समिति का गठन किया जा सकता है, जिसकी आख्या के आधार पर अनुबन्ध की अवधि 01 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। यदि कार्यादेश निर्गत किए जाने की तिथि के पश्चात् कार्य के स्थान पर नगर निगम रुद्रपुर द्वारा पृथक से **Current Waste** एकत्रित किया जाता है तो उसका नियमानुसार निस्तारण किए जाने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर द्वारा पृथक से समिति का गठन किया जा सकता है, जिसकी आख्या के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
6. वित्तीय निविदा **BOQ** प्रारूप में रहेगी, तथा निविदादाता का चुनाव न्यूनतम प्रस्तुत दर के आधार पर किया जायेगा। निविदादाता को अपनी दरें समस्त करें (यदि लागू हो) सहित **BOQ** में अंकित करनी होंगी।
7. प्रत्येक निविदादाता को एक ही निविदा **Submit/डालने** का अधिकार होगा। एक से अधिक निविदा **Submit/डालने** पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत समस्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा।
8. निविदा दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय) डाली जायेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में अर्ह निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
9. निविदा की अनुमानित लागत रु0 1.35 करोड़ (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये मात्र) अधिकतम है। सफल निविदादाता को अनुबन्ध होने की तिथि से आगामी 01 सप्ताह के भीतर कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि के रूप में रु0 6,75,000.00 (छः लाख पचहत्तर लाख रुपये मात्र) की बैंक गारण्टी/एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता को कार्य की समाप्ति के पश्चात् नगर निगम रुद्रपुर को इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा कि उसके द्वारा सम्पूर्ण **Current Waste** तथा उससे निकलने वाले सामान/**RDF** का **CPCB/NGT/मा0** न्यायालय तथा समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित मानकों के तहत ही निस्तारण किया गया है। तत्पश्चात् ही सफल निविदादाता की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर राशि अवमुक्त की जायेगी।
11. बिड डालने हेतु निम्न प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे किसी भी वांछित प्रपत्र के अपलोड न होने की स्थिति तथा अपठनीय होने की दशा में बिड निरस्त कर दी जायेगी—
 - i. निविदादाता को निविदा की धरोहर धनराशि रु0 2,70,000.00 (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की एफडीआर जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के पदनाम बन्धक हो, को तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसे स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - ii. निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर डाउनलोड व अपलोड किये जायें तथा निविदा की शर्तें उपरोक्त वेबसाइट के साथ-साथ नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की दशा में निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य रु0 5,000+ 900 (GST 18%)=5,900.00 (पाँच हजार नौ सौ रुपये मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ की-डेट्स के अनुसार मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन कर अपलोड करना होगा। निविदा प्रपत्र मूल्य केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य होगा।

- III. निविदादाता को आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र (पैन कार्ड) को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- IV. निविदादाता को उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- V. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2021-22) के आई0टी0आर0 को स्कैन कर अपलोड करना होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 की आई0टी0आर0 न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018-19 की आई0टी0आर0 भी मान्य होगी।
- VI. निविदादाता को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21 व 2021-22) का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र (UDIN सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक वर्ष का टर्न ओवर रू0 70.00 लाख (सत्तर लाख रुपये मात्र) होना चाहिए, जिसके प्रमाण पत्र को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का टर्नओवर प्रमाणपत्र न होने की दशा में वित्तीय वर्ष 2018-19 का टर्नओवर प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।
- VII. निविदादाता के पास विगत 03 वर्षों में किसी भी एक नगरीय निकाय में न्यूनतम 40000 CuM (लगभग 32000 मीट्रिक टन) नगरीय ठोस अपशिष्ट/Current Waste का CPCB के मानकों के अनुसार निस्तारण करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। निविदादाता को इस सम्बन्ध में निविदादाता को कार्यादेश की प्रति तथा संतोषजनक कार्य किए जाने का प्रमाण पत्र को पृथक-पृथक स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- VIII. निविदादाता को रू0 100.00 के नोटरीकृत शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, पूर्व में उसकी फर्म को **सम्पूर्ण भारतवर्ष में** किसी भी संस्था/विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है, को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी **मूल प्रति** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- IX. निविदा को रू0 100.00 का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर को स्कैन कर अपलोड करना होगा तथा तकनीकी निविदा के साथ उसकी **मूल रूप** तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- X. निविदादाता के पास आर0डी0एफ0/पॉलीथीन इत्यादि को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत किसी ERP फर्म के माध्यम से निस्तारित किए जाने हेतु ERP फर्म के साथ गठित अनुबन्ध पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसको स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- XI. निविदादाता को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/CA द्वारा प्रदत्त रू0 50.00 लाख की हैसियत का वैध प्रमाणपत्र अथवा रू0 50.00 लाख का वैध नेटवर्थ प्रमाण पत्र की प्रति स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
12. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण कार्य एवं सेवाओं का निष्पादन एक इकाई के रूप में करना होगा।
13. सफल निविदादाता को Current Waste का निस्तारण नगर निगम के नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर हीगा।
14. सफल निविदादाता द्वारा Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार रात्रि में भी कार्य किया जा सकता है।
15. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु आवश्यक मशीनरी, बिजली एवं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था स्वयं तथा अपने व्यय पर करनी होगी तथा कार्य की अवधि में उस पर होने वाले समस्त व्यय के सापेक्ष नगर निगम रुद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

~

~

~

(3)

16. सफल निविदादाता द्वारा MSW Rule 2016 अन्य नियम एवं मा0एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन न करने अथवा शिथिलता बरतने पर मा0 सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या राजकीय विभाग द्वारा यदि कोई अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उक्त आरोपित अर्थदण्ड को जमा करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
17. सफल निविदादाता को Current Waste के निस्तारण हेतु प्लांट पर न्यूनतम 01 सूपरवाइजर तैनात करना होगा, जिसे मकैनिकल/इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को श्रम नियमों, न्यूनतम मजदूरी तथा समय-समय पर विभिन्न न्यायालयों, आयोगों, अभिकरणों तथा नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जारी नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा।
19. सफल निविदादाता द्वारा उक्त कार्य में योजित कार्मिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जायेंगे, तथा जैकेट, हेल्मेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट इत्यादि प्रदान किये जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
20. सफल निविदादाता उनके द्वारा Current Waste का संतोषजनक रूप से निस्तारण कर खाली किए गए कुल क्षेत्रफल के आधार पर 03 किशतों में भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए सफल निविदादाता को प्रत्येक बार स्वयं के व्यय पर वैज्ञानिक रूप से सर्वे करा कर बिल के साथ संलग्न कर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी -

क्रम संख्या	वैज्ञानिक सर्वे की तिथि	सर्वे के अनुसार खाली किए गए स्थान का क्षेत्रफल	सर्वे के अनुसार निस्तारित Current Waste की मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उपरोक्त के अतिरिक्त सफल निविदादाता को अपने प्रत्येक बिल के साथ यह प्रमाणपत्र नगर निगम रुद्रपुर को देना होगा कि उसके द्वारा SBM Rules 2016, SWM Rules 2016, CPCB की गाईडलाइन के अनुसार ही Current Waste के निस्तारण का कार्य सम्पन्न किया गया है। कार्य संतोषजनक होने की दशा में सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष 02 सप्ताह में भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

21. सफल निविदादाता को प्लान्ट परिसर में आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर कैमरे लगवाने होंगे जिनका आउटपुट नगर निगम में देखे जाने की व्यवस्था सफल निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी।
22. उपरोक्त कार्य में प्रयुक्त प्लान्ट, मशीनों बेल्ट, वाहनों का ईंधन व्यय, परिचालन (वाहन चालक व हैलपर), वाहन के मरम्मत एवं अनुरक्षण क व्यवस्था आदि सफल निविदादाता को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करन होगी। सफल निविदादाता को नगर निगम से कोई मानव शक्ति प्रदान नहीं की जायेगी।
23. उक्त कार्य को करने के दौरान उठने वाली धूल रोकने के लिए व्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं के व्यय पर करनी होगी एवं कूड़ा उठाने के दौरान उठने वाली दुर्गन्ध के लिए दुर्गन्ध नाशक दवाई का छिड़काव करना भी आवश्यक होगा, जिस हेतु नगर निगम रुद्रपुर द्वारा पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। प्लांट पर कूड़े में आग रोकने की व्यवस्था सफल निविदादाता को व्यय के व्यय पर करनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय/अधिकरण/मा0 एन0जी0टी0/जिलाधिकारी कार्यालय/नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा

~

~

~

(4)

नियमानुसार दण्ड आरोपित किये जाने पर उसे जमा कराने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।

24. अनुबन्ध की अवधि में कार्य करने के दौरान यदि कोई कर्मचारी घायल होता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सफल निविदादाता प्रासंगिक कानून के तहत मुआवजे आदि के भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना जोखिम का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा तथा इस सम्बन्ध में नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
25. सफल निविदादाता को कार्य की अवधि समाप्त होने तक कार्यस्थल के निकट अपना एक कार्यालय स्थापित करना होगा।
26. Current Waste से निकलने वाले इनर्ट (मिट्टी/बजरी) सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर नगर निगम रुद्रपुर द्वारा निर्धारित स्थान पर निःशुल्क परिवहन कर पहुँचाया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रुद्रपुर द्वारा 02 नग ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा उपलब्धतानुसार बेकहो लोडर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कार्य की अवधि में सफल निविदादाता को हस्तांतरित ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनुरक्षण, ईंधन, वाहन चालक/हेल्पर पर होने वाले समस्त व्यय का वहन सफल निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा, जिसके लिए नगर निगम रुद्रपुर द्वारा पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
27. इनर्ट (मिट्टी/बजरी) के अलावा Current Waste से निकलने समस्त प्रकार के RDF / सामान (जैसे बोटल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी इत्यादि) का सफल निविदादाता द्वारा CPCB द्वारा निर्धारित मानकों के तहत निस्तारण किया जायेगा। RDF को नियमानुसार निस्तारित/विक्रय करने का अधिकार सफल निविदादाता को होगा तथा उससे होने वाली किसी भी प्रकार की आय के सापेक्ष सफल निविदादाता द्वारा नगर निगम रुद्रपुर को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
28. सफल निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर द्वारा कार्यादेश जारी किए जाने के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम रुद्रपुर सफल निविदादाता का अनुबन्ध निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिस पर सफल निविदादाता का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
29. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वित्तीय अभिलेख/प्रमाण पत्र की वैधता अवधि निविदा डालने (Bid Submission Date) की तिथि से अग्रिम 90 दिनों तक के लिए होनी अनिवार्य है।
30. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
31. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा।
32. निविदा खोले जाने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में नियत समय पर ही खोली जायेगी।
33. अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के इतर सफल निविदादाता की कोई शर्त एवं दावा मान्य नहीं होगा।
34. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि आपूर्तिकर्ता उस निर्णय से सहमत न हो तो प्रकरण आर्बीट्रेटर के माध्यम से निपटाया जायेगा। इस सन्दर्भ में जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर आर्बीट्रेटर होंगे। अपरिहार्य कारणों से जिलाधिकारी महोदय के आर्बीट्रेटर न होने की दशा में उनके द्वारा आर्बीट्रेटर नियुक्त किया जायेगा।
35. आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बीट्रेटर के न्यायालय में पक्षकार अपने दावों के समर्थन में जो भी अभिलेख प्रस्तुत करेंगे, उसका वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जायेगा। आर्बीट्रेटर की फीस का वहन पक्षकारों द्वारा आधा-आधा वहन करना होगा।

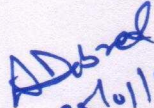
m

W

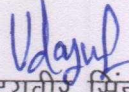
L

5

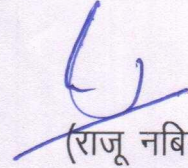
नोट- निविदादाता को मात्र क्रम संख्या 11(i), 11(ii), 11(viii) एवं 11(ix) पर अंकित अभिलेख ही मूल रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करने होंगे तथा शेष अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।


25/01/2023

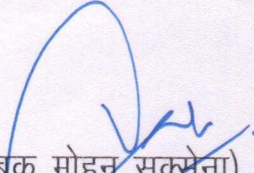
(अशोक डबरा)ल)
प्रधान लिपिक
नगर निगम, रूद्रपुर



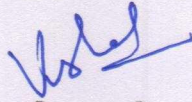
(उदयवीर सिंह)
सफाई निरीक्षक
नगर निगम, रूद्रपुर



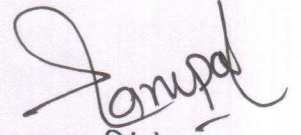
(राजू नबियाल)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर



(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम, रूद्रपुर



(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर



(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर